जाये| इसके अतिरिक्त ऑडिट की अद्यतन स्थिति से भी शासन को अवगत कराया जाय और विगत वर्षो में अवमुक्त धनराशि को अर्जित व्याज सहित तत्काल राजकोष में जमा करा दिया जायेगा |

4 प्रश्नगत राशि नई मदों में व्यय नहीं की जाएगी और कोषागारो से एकमुश्त आहरित करके बैंक / पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं की जाएगी |

2- उपर्युक्त संपूर्ण धनराशि रूपये-10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-39 के लेखाशीर्षक 2202- सामान्य शिक्षा- आयोजनेत्तर-03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-104- अराजकीय कॉलेज और संस्थानों को सहायता-03- हिन्दुस्तानी अकादमी उत्तर प्रदेश को अनुदान-20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा |

3 - यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 की अशासकीय संख्या-ई-7-147/4/दस- 2014 दिनांक 2 दिसम्बर 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है |

भवदीय

(डॉ अलका टंडन भटनागर)
विशेष सचिव |

संख्या-202(1)/इक्कीस-4-2014 तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 प्रधान महालेखाकार(जनरल एंड सोशल सेक्टर ऑडिट), उ०प्र० इलाहाबाद |
2 महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी (प्रथम एवं द्वितीय) उ०प्र० इलाहाबाद |
3 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) , प्रथम / द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद |
4 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग , उ०प्र० इलाहाबाद |
5 कोषाधिकारी, लखनऊ |
6 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग - 7
7 वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 / 2 / 4
8 सचिव, हिन्दुस्तानी अकादमी, राजर्षि टंडन भवन 12 डी कमलानेहरू मार्ग ,इलाहाबाद |
9 भाषा (उर्दू) अनुभाग - 4
10 गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

(बृजेश चन्द्र)
अनुसचिव(भाषा)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in